

119 साल में दिसंबर में सोमवार रहा दिल्ली का सबसे ठंडा दिन

जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार का दिन पिछले 119 साल में दिसंबर का सबसे सर्द दिन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार का दिन 1901 के बाद से दिसंबर का सबसे सर्द दिन रहा और दिसंबर से फरवरी के बीच यह 1951 के बाद सबसे ठंडा दिन था।

राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

कोहरे के कारण नहर में गिरी कार, छह लोगो की मौत खबर पेज 5

यह पिछले 119 साल में दिसंबर के महीने में सबसे सर्द दिन है। न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से चार डिग्री कम है।

सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी भीषण कोहरे की गिरफ्त में रही और इस दौरान दृश्यता बेहद कम रही। पालम में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया



फोटो : अरुण चोपड़ा



श्रीनगर के पास तंगमर्ग

| दिल्ली का तापमान | 26 दिसंबर | 27 दिसंबर | 28 दिसंबर | 29 दिसंबर | 30 दिसंबर |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| अधिकतम तापमान | 5.6, 11.8 | 4.2, 12.9 | 3.1, 11.0 | 3.2, 13.5 | 2.9, 10.0 |
| अधिकतम तापमान | 5.8, 13.4 | 4.2, 14.4 | 2.4, 13.3 | 3.4, 15.8 | 2.6, 9.4 |
| अधिकतम तापमान | 5.1, 13.8 | 4.0, 15.0 | 1.7, 13.9 | 2.8, 15.6 | 2.2, 9.3 |

चार उड़ानें रद्द, 530 में विलंब

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच यहां अब घने कोहरे का कहर भी शुरू हो गया है। इसकी वजह से राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर घने कोहरे के कारण सोमवार को विमान सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई।

दृश्यता कम होने की वजह से दोपहर करीब एक बजे तक चार उड़ानों को रद्द करना पड़ा जबकि 20 विमानों में विलंबता



श्रीनगर के पास तंगमर्ग

रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान देश भर में रेलवे की 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा और इसकी भरपाई आगजनी एवं हिंसा में संलिप्त पाए गए लोगों से की जाएगी।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संसद में पारित होने के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बस जला दी और ट्रेनों के डिब्बों

उद्धव मंत्रिमंडल का विस्तार उपमुख्यमंत्री बने अजित, आदित्य को मंत्री पद

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच लंबे विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर मुहर लगी और 36 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली।

राकांपा नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि, शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस



आदित्य ठाकरे



अजित पवार

कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण समेत 36 नेताओं को मंत्री पद। ताजा विस्तार के बाद उद्धव सरकार में कुल 43 मंत्री।

सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के उपयोग पर नौसेना ने लगाई रोक

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

भारतीय नौसेना ने अपने अधिकारियों और नौसैनिकों द्वारा सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नौसेना के टिकानों, डॉकियाई और युद्धपोतों पर लागू होगा आदेश

युद्धपोतों पर तेनाती या मौजूदगी के दौरान वे लोग स्मार्टफोन भी नहीं ले जा सकेंगे। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ को संवेदनशील सूचनाएं लीक करते सात नौसैनिकों के पकड़े जाने के बाद

यह कदम उठाया गया है। विशाखापत्तन से 20 दिसंबर को ये लोग पकड़े गए थे। आरोपियों ने नौसेना और पनडुब्बियों से संबंधित कई संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी थी। आरोपियों में एक हवाला कारोबारी भी शामिल है, जिसे मुंबई से पकड़ा गया था।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को खुलासा किया कि नौसेना ने प्रतिबंध लगाने के आदेश 27 दिसंबर को जारी किए थे। फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, नौसैनिक क्षेत्रों के भीतर सभी टिकानों और



'प्रियंका ने तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल'

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

सीआरपीएफ ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्वा के लखनऊ के हालिया दौर के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हुई। साथ ही बल ने प्रियंका गांधी को स्कूटर पर पीछे बैठकर

मेरी नहीं, जनता की सुरक्षा अहम : प्रियंका

लखनऊ, 30 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपनी सुरक्षा को लेकर हुए सवाल पर बोलीं कि मेरी सुरक्षा का सवाल बड़ा सवाल नहीं है। यह छोटा सवाल है, जिस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी ने भगवा धारण किया है, जो हिंदू धर्म का चिह्न है लेकिन उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति के लिए धर्मों की लड़ाई न शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि योगी जी ने धर्म को धारण किया है। हिंदू धर्म किसी का अहित करना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में किसी अन्य धर्म के अपमान की

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा के जागरूकता अभियान के बारे में प्रियंका ने कहा कि यह जागरूकता अभियान नहीं, झूठों का अभियान है। यह कानून संविधान के खिलाफ है। गांधी ने कहा कि जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, आप उससे कागजात मांगेंगे? वह भी 1971 से।

बाकी पेज 8 पर

स्टेट बैंक ने कर्ज के लिए मानक ब्याज 0.25 फीसद घटाया

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कर्ज के लिए बाह्य मानकों पर आधारित अपनी ब्याज दर (ईबीआर) को 0.25 फीसद कम कर 7.80 फीसद करने की सोमवार को घोषणा की है। अभी यह दर 8.05 फीसद थी। नई दर पहली जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।

बैंक के इस निर्णय से उसके आवास ऋण पर ब्याज कम हो जाएगा और उससे ईबीआर के आधार पर कर्ज लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों पर भी ब्याज के बोझ में प्रति सैकड़ा 25 पैसे की कमी हो जाएगी। बैंक नए आवास ऋण वार्षिक 7.90 फीसद की दर से पेश करेगा। अब तक यह दर 8.15



फीसद थी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने पहली अक्टूबर, 2019 से ईबीआर आधारित ब्याज की व्यवस्था लागू की है। बैंक ने इसके तहत 1 अक्टूबर, 2016 से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों, आवास खरीदारों व खुदरा ग्राहकों के लिए परिवर्तनशील दर पर लिए गए कर्जों का ब्याज रिजर्व बैंक की रेपो दर (जिस दर पर वह बैंकों को फंडी ज़रूरत के लिए नकद धन देता है) में घट बढ़ के आधार पर समायोजित करने का निर्णय लागू किया है।

इसके तहत बैंक तीन माह में एक बार अपने कर्ज की ब्याज दरों को समायोजित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष फरवरी से कुल मिला कर रेपो दर 1.35 फीसद कम की है।

ट्विटर पर लोगों से समर्थन की अपील नागरिकता कानून जग्गी वासुदेव का 22 मिनट का वीडियो साझा किया

प्रधानमंत्री ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

देशभर में नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसके समर्थन में ट्विटर पर सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। उन्होंने ट्विटर पर इस कानून के बारे में जानकारी दी। मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा, यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है और इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने सीएए पर जग्गी वासुदेव का 22 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सद्गुरु इस बारे में समझाते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने सीएए को लेकर जागरूकता

'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण संरक्षण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, 'तथ्यों का प्रसार करिए, झूठ का नहीं। पिछले छह वर्षों में 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगान और 172 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। इनमें से कई उन देशों के बहुसंख्यक समुदाय से हैं।'



के प्रसार के लिए देश भर में 10 दिन तक अभियान चलाने का एलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जग्गी वासुदेव के भाषण का वीडियो पोस्ट करके, नागरिकता

कानून को विस्तार से बताने की कोशिश की। मोदी ने यह भी लिखा कि जग्गी वासुदेव के वीडियो में सीएए के ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझा जा सकता है। मोदी ने ट्वीट किया,

'सीएए से जुड़े पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या तथा और भी चीजें सद्गुरु से सुनिए। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला दिया है और हमारी भाईचारे की संस्कृति का बेहतरीन तथा शानदार तरीके से उल्लेख किया है। इसके साथ ही उन्होंने निहित स्वार्थ वाले कुछ समूहों की गलत सूचनाओं को बेनकाब किया है।' प्रधानमंत्री की निजी वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर भी एक संदेश पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि सीएए उल्पीड़न का शिकार हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है और इसमें किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं की गई है। यह संदेश 'इंडिया सपोर्ट्स सीएए' नामक हैशटैग से पोस्ट किया गया है। इसके

बाकी पेज 8 पर

अतिरिक्त सुरक्षा—एक आवश्यकता

प्रस्तुत है
नेशनल सुपर टॉप-अप मेडिकलेम पॉलिसी

- ◆ अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को रु. 3 लाख से 20 लाख तक टॉप अप करें!*
- ◆ किसी भी बीमा कम्पनी से ली गयी बेस पॉलिसी के साथ अथवा बेस पॉलिसी के बिना भी कवर चुना जा सकता है!*
- ◆ यह पॉलिसी व्यक्तिगत या फ्लोटर (सामयिक) आधार पर है*
- ◆ वहनीय प्रीमियम जो रु. 920/- से प्रारम्भ है* (कर छोड़कर)
- ◆ शीघ्र प्रवेश छूट तथा पारिवारिक छूट उपलब्ध*

* विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए नीति विवरणिका को कृपया देखें

नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
National Insurance Company Limited

(भारत सरकार का एक उपक्रम) RDA Registration No. 58, CN- U102004B1906GO.001713
पंजीकृत एवं प्रभारण कार्यालय : 3 मिल्बटन स्ट्रीट, कोलकाता 700 071

Trusted Since 1906
<https://nationalinsurance.nic.co.in>
Toll Free No. 1800 345 0330 / 1800 123 230230

व्यक्तिगत

I, Wasim Ahmad/Waseem Ahmad S/O-Kafeel Ahmad H.No-3537, 1st-Floor, Jatwara-Street, Darya Ganj, Delhi-110002. Have Changed My Name To Waseem Ahmed Alvi. 0040525943-4

I, Vishnudutti Khandelwal, S/O-Mangtu Ram, R/O-753 Shyam-Colony Hodal-Palwal Haryana. Have Change Name To Vishnu Dutt for all. 0040525943-3

I, Vinay Kumar S/O Shree Prakash R/O-F-2, Abhi Appt. 4/18, Sec-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005, Uttar Pradesh, have changed my name to Vinay Kumar Gupta permanently. 0040525903-1

I, Vikas Gualti S/O Mahesh Gulati R/O B-9/439, 3rd floor, Sector-3 Rohini Delhi-110085 Have Changed My Name to Vikas Gulati. 0070690459-1

I, Vicky Kumar S/O Prem Pal R/O H.No. 612, Sunlight Colony-I, Near-Bala-Sahib Gurudwara, New Delhi-110014 have changed my name to Vicky. 0040525933-5

I, Uttam Kumar S/O-Sunit Kumar Mishra R/O-WZ-68, G/1-Block, Uttam-Nagar, Delhi-110059, have changed my name to UTTAM KUMAR MISHRA. 0040525923-6

I, Sunitha Das W/O Devadas R/O Ilaathukizhakkathil, Vetticoode, PO, Vetticoode, Bharanikkavu, Alappuzha, Kerala, pin-690503, have changed my name to Sunitha for all purposes. 0040525971-1

I, Sunil Moolchandani R/O Housh.No.8043, Sector C, Pocket-8, Vasant Kunj, New Delhi, have changed my minor daughter's name from Dakshi Moolchandani to Daakshi Moolchandani for all future purposes. 0040525884-1

I, Suman Rani Khatpal W/O Lalan Yadav R/OH.No.652, Gali-No.2, Primary-School wall-Gali, Village-Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name to Kiran Devi. 0040525923-9

I, Suman Panwar W/O-Rajesh Panwar H.No-265-A, Near-Dalip Singh Chowk, Shahpur-Jat, Delhi-110049. Have Changed My Name To Suman Rana. 0040525943-10

I, Sonali D/o-Sagar Chand R/O-40, Block-MG1, Vikas Puri, Tilak Nagar, Rajouri Garden, New Delhi-18, have changed my name to Sonali Sharma for all purposes. 0040525890-1

I, Siddiqui Shabana Hamid W/O-Syed Masroor Ali R/O-D-3, Abul-Fazal-Enclave, Part-1, Jamia-Nagar, New Delhi-110025, have changed my name to Shabana Siddiqui. 0040525933-1

I, Shahnaz Jahan Alise Sabia W/O-Intezar Ali R/O-174/A J Extn, Gali No.5, Laxmi-Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Sabia Begum. 0040525933-2

I, Satvinder Singh S/O-Avtar Singh R/O-5c/36 Khui Wali Gali Vishnu-Garden, Have Changed My Name To Satvinder Singh Sabharwal. 0040525914-4

I, Satveer Kaur W/O Amrik Singh R/O D-230, Tagore-Garden-Extension, Delhi-110027, have changed my name to Simar Kaur. 0040525952-2

I, Sanjay Soni S/O Mansukhlal Soni R/O 1002, Tower-7, Unitech Horizon, Sector-Pi 2, Greater Noida, U.P., declare that I have changed my name from Sanjay Mansukhlal Soni to Sanjay Soni I shall be known as Sanjay Soni for all future purposes. 0040525892-3

I, Sangeeta Sharma W/O Uttam Kumar Mishra R/O-WZ-68, G/1-Block, Uttam-Nagar, Delhi-110059, have changed my name to SANGEETA MISHRA. 0040525923-7

I, Sakshi Vij D/o Joginder Vij W/O-Muskan Sethi R/O-19/2, Ist-Floor, Shaktinagar, Delhi-110007, have changed my name to Sakshi Sethi after marriage. 0040525958-9

I, Saera Khatoun W/O Sh.Mohd.Farooq R/O.H.No.Be-958 Badkhal-Extn. Near-Mustafa-Masjid Faridabad, Haryana-121001, Have Changed My Name To Saira Bano Permanently. 0040525923-2

I, SUNIL KUMAR S/O Ram Kumar R/O C-56, Dasharat puri, Gali-5, Dabri, Palam-Village, Delhi-110045, have changed my name to VIJAY. 0040525929-5

I, SAVITRI, W/O Late shri kishan lal, R/O-7/240 patparganj-village Delhi-91, inform that my date of birth has been wrongly-mentioned as-25/01/1971 and 01/01/1971 in my pan card and Aadhar card ,the correct date of birth is-01/07/1966. 0040525952-11

I, Manish Chaudhary S/O, Rajender Singh R/O-KG-2/86, LG-flats, First-floor, Vikaspuri New-Delhi-110018, have changed my name to Manish, for all purposes. 0040525952-3

I, Kamaljit Singh S/O Kewal Singh R/O-Rz-60, Vishnu Garden Khyala Tilak-Nagar Delhi-1118 Have Changed My Name To Kamaljeet Singh. 0040525914-8

I, Ayoob Khan S/O-Mohd Siddiq H.No.27 Anupam-Enclave-II Lane.No-4 Ignou-Road, Block-B, Saiduajalab-Extn, South Delhi-110030, Changed My Name To Ayub Khan. 0040525923-5

I, Ruchi Chadha W/O Harash Kumar Chadha R/O-M-22, Gujrat-Sargodha C.G.H.S Ltd, Plot.No-38, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, Changed My Name To Kusum. 0040525952-10

I, Rosy Janak Chauhan W/O Janak R/O-MIG Flat.No.415 Pocket-C-8 Sector-8 Rohini Delhi-85, changed my name to Rosy Janak. 0040525929-9

I, Renu W/O-Dileep Kumar Shah R/O-H.No.1108, Hari Nagar, Line-Parrr, Ward.No.8, Tehsil-Bhadurgarh Distt. Jhajjar(Haryana), have changed my name to Meera Devi, for all purposes. 0040525914-3

I, Rekha Rani W/O-Mukesh Kumar R/O-1985/1 Railway Road-Panna Udyan Narela Delhi-110040., changed My Name To Rekha Mangla. 0040525914-7

I, Rajkumar Sharma S/O Ram Nath R/O H.No.2390, Chhipiwarra Kalan, Gali Nal Wali, Chandni Chowk, Delhi-110006, have changed my name to Raj Kumar for all purposes. 0040525874-1

I, Rajesh S/O Om Prakash Sharma R/O-E-56, Lajpat-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, UP- have changed my name to Rajesh Sharma. 0040525929-2

I, Nisha (D/o Shri Baldev) W/O Shri Arun Kumar Kaushik R/O GH-2/55A, Ankur Apartments, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to Nisha Kaushik for all purposes. 0050160407-1

I, Rajendra Singh, S/O Sh.Gyan Singh, R/O-House No.2A, Plot.No.B-60, VasantKunj-Enclave, Vasant-Kunj, New-Delhi-110070, have changed my minor son's name from Manan to Virat Singh Sabharwal for all purposes. 0040525943-6

I, Rahul s/o Ami Lal Resident R-497-498, Camp No.15, Jwala Puri Delhi-110087, have changed my name to Rahul Kamwal. 0040525921-1

I, RAJA YADAV S/O BADRI NARAYAN YADAV R/O-H.No.881, Bangali-Mohalla, Satnagar, Old-Faridabad, Haryana-121002 have changed my name to RAJ YADAV. 0040525929-4

I, Priya Arora W/O Varun Nijhawan R/O-A-309, A-Block Vikaspuri Delhi changed my name to Priya Nijhawan. 0040525929-10

I, Pooja Topa D/O Late RajKumar Topa R/O K-556, Basti Hazrat Nizamuddin New Delhi-110013 do hereby solemnly affirm and inform that I have embraced Islam and renounced Hindu with effect from 21.12.2019 and changed my name from Pooja Topa to Shanilia Hussain. 0040525891-1

I, Pavitra Soni D/O Sanjay Soni R/O 1002, Tower-7, Unitech Horizon, Sector-Pi 2, Greater Noida, U.P., declare that I have changed my name from Pavitra Sanjay Soni to Pavitra Soni I shall be known as Pavitra Soni for all future purposes. 0040525892-1

I, Pappi W/O Rajesh Rathee R/O H.No.3244, Sector-15, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Mohini Rathee. 0040525952-7

I, Neelima Sharma W/O-Vineet Jain R/O-5A/24, 2nd-Floor, Ansari-Road, DaryaGanj, New-Delhi-110002, have changed my name to Neelima Sharma Jain. 0040525952-5

I, Raninder Bajaj S/O-Lal Chand R/O-E-19/286, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, Have Changed My Name To Narender Bajaj. 0040525923-1

I, Mushtaque Khan/Mohammed Mushtaq Khan/Mushtaq, S/O-Shaukat Ali, R/O-L-3, Ghaffar-Manjil Extn.2, Haji-Colony, Jamia-Nagar, Delhi-110025, have changed my name to Mushtaq Khan, permanently. 0040525929-7

I, Masar Nath Bhati S/O Ratan Nath R/O B-1550, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Masar Nath for all purposes. 0040525873-1

I, Kumari Vijay D/o Birbal Singh R/O-A-42/2, A-Block, Street.No.8, West-Vinod-Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Vijay Sajwan. 0040525933-4

I, Kumari Rachna Mall, R/O-Flat-507, Supertech-Residency, Vaishali, Sector-5, Ghaziabad, have change my name, from Kumari Rachna Mall to Rachana Mall, for all future purposes. 0040525943-2

I, Khurshheed Alam Khan, S/O-Shazad Khan, R/O-28, 2nd-Floor, Sector-7, Jasola-Vihar, New-Delhi-110025, have changed my name, from Khurshid Alam to Khurshheed Alam Khan, for all purposes. 0040525914-1

I, Ramlakshan Yadav S/O Chhattar Yadav H.No-19 Kh.61/15, Gali, No-4 Nangli-Vihar Nagafgarh Delhi-110043, Changed My Name To Ramlachhan Yadav 0040525923-4

I, Anand Verma S/O Rameshwar Mahto, H.No-354, Village DheerPur, Nirankari-Colony, Delhi-110009, Have Change My Name Anant Kumar To Anand Verma..For All Purpose. 0040525923-3

I, Kamal wadhwan S/O-Som nath Wadhwan, flate.no-11, block-D, pocket-8, sector-23b, dwarka, delhi-110078, have change my name Kamal To Kamal wadhwan & DOB-27/04/1985 to 3/3/1985, for all purpose. 0040525914-2

I, Joseph Thekkekarackadu Cherian S/O Ouseph Cherian R/O 170, Milansar Apartment, Ward No.12, Mehrauli, New Delhi-110030, have changed my name to Joseph Cherian for all purposes. 0040525872-1

I, Intizar Ali S/O Anwar Ali R/O-174/A J-Extn. Gali.No.5, Laxmi-Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Intezar Ali. 0040525933-3

I, Janak Dinesh Chauhan S/O Dinesh Ratan Chauhan R/O-MIG.Flat.No.415 Pocket-C-8 Sector-8, Rohini Delhi-85, changed my name to Janak. 0040525929-8

I, Inder Jeet Singh/Inderjit Singh S/O-Mohinder Singh R/O-J-341, Rishi-Nagar, RaniBagh, Delhi-110034, have changed my name to Inderjeet Singh. 0040525952-10

I, Harash Chadha S/O Om Prakash Chadha, R/O-M-22, Gujrat-Sargodha C.G.H.S Ltd, Plot.No.38, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, Changed My Name To Harash Kumar Chadha. 0040525952-9

I, Gulshan Kumar R/O-Plot No.413, Ground-Floor, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, have changed the name of my son from Yash Arora to Yash Kumar. 0040525923-10

I, Dr.Irfan Siddique, S/O-Sabbir Ahmed, R/O-C-1/77-A, Second-Floor, Raju-Parc, Devil-Road Khanpur, New-Delhi-110080, have changed my name to Irfan Ali, for all purposes. 0040525943-6

I, Dilish Mukundan Saraswati S/O-Gopal Mukundan R/O House No-F-14, Block-D, Nightingale Apartment, Vikaspuri, Delhi-110018, HAVE CHANGED MY NAME TO Dilish Nair. 0040525952-4

I, Dharmendra Chauptal S/O Kameshwar Chauptal R/O 1145, BSS Camp, Rajokari Pahari, Delhi-110038, have changed my name from Dharmendra Kumar S/o Kamlshwar Das to Dharmendra Chauptal S/o Kameshwar Chauptal, for all future purposes. 0040525897-1

I, Devadas R. S/O Raghavan R/O Ilaathukizhakkathil, Vetticoode, Bharianikkavu, Alappuzha, Kerala, pin-690503, have changed my name to Devadas for all purposes. 0040525870-1

I, Chandrashekar Shyamsunder Sharma S/O Shyam Sunder Sharma R/O Ugm-1 UGF D/g-h Aljnara Enclave Block-D Chandler Nagar Ghaziabad U.P.-201011, have changed my name to Chandrashekar Sharma for all purposes. 0040525924-1

I, Bina Soni W/O Sanjay Soni R/O 1002, Tower-7, Unitech Horizon, Sector-Pi 2, Greater Noida, U.P., declare that I have changed my name from Bina Sanjay Soni to Bina Soni I shall be known as Bina Soni for all future purposes. 0040525892-1

I, Bibi Fatima W/O Ramzan Khan R/O-79/15, Yellow-Quarter, Near-Police Chowki, Lohi-Nagar, Ghaziabad, have changed my name to Fatma. 0040525929-1

I, Bablu S/O Munne Khan R/O Kh.No.447-Gali No.3, Gurunanak-Nagar, Bhalswa Dairy, Delhi-110042 have changed my name to Irshad. 0040525929-3

I, Arun Kumar S/O-Dinesh Chander Sharma R/O:C-104A, Vishvas-Park, Uttam Nagar, New-Delhi-59, Have Changed My Name to Arun Sharma. 0040525923-8

I, Arachana Gupta W/O Vinay Kumar Gupta R/O-F-2, Abhi Appt., 4/18, Sec-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005, Uttar Pradesh, have changed my name to Archana Gupta permanently. 0040525903-2

I, Anil Kumar Nim S/O Hukum Singh R/O-9/6554, Gali.No-1 Dev-Nagar Karol-Bagh N.Delhi-110005, Changed My Name To Anil Nim. 0040525958-7

I, Ambreen Rais D/O Raisuddin R/O-5084, Main-Bazar Ballimaran, Chandni Chowk Delhi-110006, have changed my name to Amreen Rais. 0040525933-7

I, Ajai Prakash R/O 7 Way Lane, Jopling Road, 27/12/4 Raja Ram Mohan Rai Marg, Lucknow have changed my minor son's name from Parth to Parth Parth for all purposes. 0040525958-6

I, Javed S/O Umeed Khan R/O-J-3/172, KishanKunj Behind-Anar Wali-Masjid, Laxmi-Nagar, Delhi-110092, changed my name to Javed Khan. 0040525933-6

I, hitherto known as Hazel Sharma D/O-Ms.Glory Samuel R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Hazel Samuel. 0040525933-9

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R/O-H.No.1-162-3rd-floor, Humanyapur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as Rishi Singh. 0040525933-7

I, hitherto known as Rishi Singh R

| | | |
|---------------------|-----------|------------------|
| तापमान | नई दिल्ली | सूर्योदय- 7:14 |
| अधिकतम-10.0 डि.से. | | |
| न्यूनतम- 2.9 डि.से. | | सूर्यास्त- 17:34 |

जनसत्ता, नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2019 3

एनडीएमसी व दिल्ली छावनी के स्कूलों के विद्यार्थियों को राहत

बोर्ड परीक्षा शुल्क देगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले सूबे के लोगों को राहत के तोहफे बांट रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने तय किया है कि अब नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी के तहत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा के शुल्क का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह ही एनडीएमसी और दिल्ली छावनी के तहत आने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा के शुल्क का



मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय विद्यार्थियों को देंगे अतिरिक्त कोचिंग

भुगतान भी दिल्ली सरकार करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हमलोगों ने कहा था कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों के बोर्ड परीक्षा का

शुल्क दिल्ली सरकार देगी। उसमें एनडीएमसी और दिल्ली के कुछ इलाके रह गए थे। अब एनडीएमसी और दिल्ली छावनी में भी जितने सरकारी स्कूल हैं, उनका शुल्क दिल्ली सरकार देगी।

हमने सरकारी स्कूलों के परिणाम को पुनरीक्षण किया है। हमने पाया कि अन्य सभी विषयों में बच्चों के परिणाम 95 से अधिक आ रहे हैं। लेकिन गणित और विज्ञान में बच्चों के परीक्षा परिणाम थोड़े कम हैं। गणित में हमारे स्कूलों के परिणाम 76 प्रतिशत से कम है। सरकार ने तय किया है कि जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पर गणित में अतिरिक्त कोचिंग दी जाएगी। जो बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जाएंगे और जिनकी कंपार्टमेंट आएगी, उनको भी अतिरिक्त कोचिंग दिलाकर पास कराने की कोशिश की जाएगी।

जेएनयू : आंदोलनरत विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए मौका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को मानसून सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने का एक मौका दिया है। सोमवार को हुई बैठक में एजिस्ट्रार, तीनों रेक्टर समेत सभी स्कूल व केंद्रों के अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में लिए गए निर्णय को विद्वत परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कुलपति प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने स्वीकृत किया है। जेएनयू में छात्रावास की नई नियमावली को लेकर विद्यार्थी 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानसून सेमेस्टर परीक्षाओं का भी बहिष्कार किया था। जो विद्यार्थी परीक्षा देने के इच्छुक थे, जेएनयू प्रशासन ने उनके लिए ईमेल, वाट्सएप आदि से परीक्षा का इंजाजाम किया था लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने ही ये अन्य माध्यमों से आयोजित परीक्षाएं दी थीं। कुछ दिन पहले छात्रसंघ ने कुलपति को पत्र लिखकर गतिरोध को समाप्त करने के लिए आतंकीता का आग्रह किया था। सोमवार को कुलपति ने पत्र लिखकर आंदोलन खत्म करने को कहा है। कुलपति ने पत्र में तीनों सालों की उपलब्धियां बताईं और छात्रावास की फीस बढ़ोतरी को वैधानिक बताया।

एक जनवरी से होंगे शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पंजीकरण

पत्र में स्पष्ट किया है कि शीतकालीन सेमेस्टर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ही होगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया एक से पांच जनवरी तक चलेगी। पत्र के अनुसार यह पंजीकरण प्रक्रिया दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इसमें मानसून सत्र की अकादमिक शर्तें पूरी करने वाले और पूरी ना करने वाले छात्र भी अगले सत्र के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। अकादमिक शर्तें पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अस्थाई पंजीकरण कराना होगा। जो छात्र 20 जनवरी तक मानसून सत्र की अकादमिक शर्तें पूरी लेंगे, उनका पंजीकरण वैध माना जाएगा।

बढ़े शुल्क के लिए निर्देश जारी

जेएनयू की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार छात्रावास का बढ़ा शुल्क एक जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत डबल कमरे के लिए 300 और एकल कमरे के लिए 600 रुपए प्रति माह चुकाने होंगे। गरीबी रखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के विद्यार्थियों को कमरे के शुल्क में 50 फीसद की छूट मिलेगी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (इलेक्ट.)-एनजीजेड, कमरा नं. 219, दूसरा तल, जोनल कार्यालय भवन, डासा रूट-2, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043
निविदा आमंत्रण सूचना

आयुक्त, एसडीएमसी की ओर से ईईई/एनजीजेड, एसडीएमसी द्वारा एनआईटी नं. 20/टीसी/ईई (ई)/एनजीजेड/एसडीएमसी/2019-20 दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से जीआई पोल एवं सहायक एसेसरीज के स्टीट लाइटिंग कार्य के लिए एसडीएमसी/एनडीएमसी/ईईएमसी के संबंधित श्रेणी के अधीन पंजीकृत योग्य इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर एफत बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा राशि: रु. 39,24,768/-, धरोहर राशि: रु. 799,000/-, पूर्णता समय: 05 माह, निविदा कीमत: रु. 500/-, लेखाशोध- XL-VIII-V, निविदा बिक्री प्रारंभ तिथि: 30.12.2019, निविदा खरीदने की अंतिम तिथि: 07.01.2020 को 12:00 बजे। वगैर निविदाओं के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र केवल ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए प्रेस में अलग से प्रचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विवरण <http://www.tenderwizard.com/> SOUTHMCTENDER पर उपलब्ध है।
आर.ओ. सं. 144/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 ईईई/एनजीजेड

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

शराब पीकर गाड़ी चलाना हो सकता है घातक

नशे की हालत में वाहन न चलाएं

शराब, दूर से वस्तुओं को देखने की क्षमता को 25 प्रतिशत कम कर देती है।

वैकल्पिक परिवहन सुविधा को अपनाएं, कैब बुलवायें या शराब का सेवन न किए हुए साथी से वाहन चलवायें

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नई जुर्माना राशि ₹10,000/- या 6 माह तक जेल + 3 माह के लिए गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य

ट्रेफिक प्रहरी बनें
ऐप डाउनलोड करें
App Store Google play

24 घंटे यातायात हेल्पलाइन
011-25844444/1095

हमसे जुड़े
<https://www.facebook.com/dtptraffic>
<https://twitter.com/dtptraffic>

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें
cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

लिखित : पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
सीए नं. 741/2019 के साथ सीए (सीए) नं. 39/सीएचडी/एचआरआई/2018 कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में और

निम्नलिखित व्यवस्था की योजना के मामले में:

डीएलएफ फेज-IV कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेज-3, गुरुग्राम-122002
हरियाणा में है (सीआईएन: U45201HR2002PLC075613)
ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in

.....आवेदक नं. 1/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 1 और

डीएलएफ रियल एस्टेट बिल्डर्स लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेज-3, गुरुग्राम-122002
हरियाणा में है (सीआईएन: U70200HR2008PLC075593)
ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in

.....आवेदक नं. 2/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2 और

डीएलएफ रेजिडेंशियल बिल्डर्स लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेज-3, गुरुग्राम-122002
हरियाणा में है (सीआईएन: U45200HR2008PLC075592)
ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in

.....आवेदक नं. 3/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 3 और

डीएलएफ वूटिलिटीज लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरा तल, शांतिग माल, अर्जुन मार्ग, फेज-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम-122002
हरियाणा में है (सीआईएन: U01300HR1989PLC030646)
ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in

.....आवेदक नं. 4/डिजिटल कम्पनी के साथ

डीएलएफ लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरा तल, शांतिग माल, अर्जुन मार्ग, फेज-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम-122002
हरियाणा में है (सीआईएन: L70101HR1963PLC002484)
ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in

.....आवेदक नं. 5/हस्तांतरित कम्पनी सूचना

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), चंडीगढ़ पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डीएलएफ वूटिलिटीज लिमिटेड और डीएलएफ लिमिटेड के लेनदारों एवं इन्विंटी शेयरधारकों की बैठक के आयोजन की सूचना और डीएलएफ वूटिलिटीज लिमिटेड एवं डीएलएफ लिमिटेड के लेनदारों/इन्विंटी शेयरधारकों को सूचना भेजने का विज्ञापन।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 21 नवंबर, 2019 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त वगैरित अनुसार आवेदक कंपनियों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना पर विचार करने के प्रयोजन हेतु उपरोक्त वगैरित आदेश में निर्धारित शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के अधीन डीएलएफ वूटिलिटीज लिमिटेड (आवेदक नं. 4 कम्पनी) और डीएलएफ लिमिटेड (आवेदक नं. 5 कम्पनी) के लेनदारों की बैठक के आयोजन ना करने हेतु और डीएलएफ लिमिटेड के इन्विंटी शेयरधारकों की भी बैठक ना आयोजित करने के निर्देश दिए। एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2019 द्वारा सभी आवेदक कंपनियों के शेयरधारकों और/या शेयरधारकों के वर्ग और लेनदारों और/या लेनदारों के वर्ग की अन्य बैठकों को भी ना आयोजित करने के लिए कहा था।

माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 21.11.2019 में निर्धारित निर्देशों के अनुसार संबंधित कम्पनी के कुल बकाया ऋण के न्यूनतम पांच प्रतिशत बकाया ऋण राशि वाले आवेदक नं. 4 कम्पनी और आवेदक नं. 5 कम्पनी और उनके संबंधित लेनदारों (दिनांक 21.11.2019 तक के) को सूचना जारी/भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार, आवेदक नं. 5 कम्पनी को कम्पनी की अभिलेख शेर पुंजी के न्यूनतम पांच प्रतिशत शेर रखने वाले उनके इन्विंटी शेयरधारकों (दिनांक 21.11.2019 तक के) को सूचना जारी/भेजी जा चुकी है।

आवेदक कंपनियों के सभी लेनदारों एवं शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित व्यवस्था की योजना के संबंध में अभिवेदन, यदि कोई हो, को इस सूचना की प्रतिलिपी की तिथि से 30 दिनों के भीतर माननीय अधिकरण को किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अभिवेदन की प्रति संबंधित कंपनी(यों) को भेजी जाए।

यदि इस संबंध में लेनदारों/शेयरधारकों से निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि कथित लेनदारों एवं शेयरधारकों को प्रस्तावित व्यवस्था की योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना, कथित योजना की प्रति, धारा 230 के अंतर्गत ब्यौरा एवं अन्य विवरण आवेदक कंपनियों के किसी भी लेनदार(री)/शेयरधारक(की) द्वारा उपरोक्त वगैरित उनके संबंधित पंजीकृत कार्यालयों या आवेदक कंपनियों के अधिकता, श्री नवीन दाहिना, अधिकता, के कार्यालय कृते यूकेसीए एंड पार्टनर्स, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, ई-2, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 से शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। इसे संबंधित लेनदार(री)/शेयरधारक(की) को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

कृते आवेदक कंपनियों की ओर से तिथि: 27.12.2019 80/-
स्थान: गुरुग्राम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

आपका भरोसा, हमारी सम्पदा

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

श्री एम आर कुमार, अध्यक्ष, एलआईसी ऑफ इंडिया ने रु. 2610.74 करोड़ का चेक श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीया केन्द्रीय वित्त एवं निगमित मामले मंत्री को 31.03.2019 की तिथि पर एलआईसी के बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न भारत सरकार के अधिशेष हिस्से के तौर पर प्रस्तुत किया। श्री राजीव कुमार, सचिव (वित्त) और श्री देवाशीष पाण्डा, विशेष सचिव (बीमा एवं एफआई), तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, श्री टी सी सुशील कुमार, एमडी, श्री विपिन आनन्द, एमडी, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एमडी और श्री राज कुमार, एमडी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वर्ष 2018-19 हेतु कुल मूल्यांकन अधिशेष : ₹ 53214.41 करोड़, अब तक का सर्वाधिक (31.03.2019 को आधार मानकर)

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| मार्केट शेयर पॉलिसियाँ : 74.71% | कुल आय ₹5.61 लाख करोड़ | कुल परिसंपत्ति ₹31.12 लाख करोड़ | प्रथम वर्ष प्रीमियम ₹1,42,191.69 करोड़ |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|

29 करोड़ से ज्यादा चालू पॉलिसियाँ
निपटाए गए दावों की संख्या : 2 करोड़ 59 लाख, ₹1.63 लाख करोड़ की राशि के साथ
मार्केट शेयर दिनांक 30.11.2019 को-पॉलिसियाँ : 76.28%, एफवाईपी : 71.00%

Follow us: [f](#) [You Tube](#) [LIC India Forever](#) हमारी वेबसाइट विजिट करें www.licindia.in IRDAI Regn No.: 512

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | मासम् | | | |
| | <i>तापमान</i> | नोएडा | गाजियाबाद | गुरुग्राम | फरीदाबाद |
| | अधिकतम | १.4 डि.से. | १.4 डि.से. | १.6 डि.से. | 10.० डि.से. |
| | न्यूनतम | 2.6 डि.से. | 2.6 डि.से. | 2.6 डि.से. | 2.6 डि.से. |
| | | | | | |
| | | जनसत्ता, नई दिल्ली, ३1 दिसंबर, 201१ | | | 4 |

खबराों में शहर

‘नागरिकता’ को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून बनने के बाद दिल्ली के मजनुू का टीला इलाके में जन्मी बच्ची का नाम ‘नागरिकता’ रखा गया। उस बच्ची को सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र दिया। निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने मजनुू का टीला शरणार्थी कैंप में जाकर बच्ची ‘नागरिकता’ के माता-पिता को निगम की तरफ से उसका जन्म प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर निगम के पूर्व पार्षद अरविंद गर्ग भी मौजूद थे।

खुले में शौच से मुक्त हुआ उत्तरी निगम
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने निगम को खुले में शौच मुक्त का दर्जा प्राप्त होने पर सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जोशी इस मामले में तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के निरीक्षण के बाद बताया कि निरीक्षण किए गए 17 स्थानों में चार स्लम क्षेत्र, चार विहायशी क्षेत्र, चार व्यापसायिक क्षेत्र, चार विद्यालय और एक विशेष क्षेत्र शामिल था। यहां पर सभी आधारिक संरचनाओं को मानकों के मुताबिक पाया गया। जिसके उत्तरी निगम को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। निगम ने 2014 के बाद से 29९ सामुदायिक शौचालय और 151 सार्वजनिक शौचालय और 340 घरों में शौचालयों का निर्माण किया है।

पीजीडीएवी (सांध्य) ने 600 को दीं उपाधियां
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

भारत के प्राचीन ज्ञान में आधुनिक जीवन के सभी सूत्र विद्यमान हैं। आवश्यकता है, उन सूत्रों की पहचान करने की। ये शब्द दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य) के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने कहे। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान में आधुनिक जीवन की अपार क्षमताएं हैं। इस अवसर पर 600 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रवींद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह अपने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन करता है। इस अवसर पर कॉलेज की संवलाक मंडल (जीबी) के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चव्‌वर्ती ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए उपाधि एक नया दायित्व होती है। उपाधि प्राप्त करने के बाद उसके सामने एक नई चुनौती होती है क्योंकि उसके साथ अब उपाधि की पहचान भी जुड़ चुकी होती है।

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : माउसली चक्रवर्ती की ‘द होमलैंड’ नामक प्रदर्शनी, सेंटर आर्ट गैलरी, कमलादेवी कॉम्प्लेक्स, 4० मेक्समूलर मार्ग, सुहैद 11 बजे।

ॐ

पीएम आवास के एसपीजी कार्यालय में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली के नौ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास एसपीजी कार्यालय में रखे एक यूपीएस में सोमवार शाम साढ़े सात बजे आग लग गई। अतिविशिष्ट आवास होने के कारण आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तुरंत आग पर काबू पा लिया।

दिल्ली अग्निशमन विभाग का कहना है कि विभाग की दमकल जब पहुंची, इससे पहले ही वहां के सुरक्षा दरते ने आग पर काबू पा लिया था। एहतियात के तौर पर घटना स्थल पर एंबुलेंस भी तैनात किए गए ताकि सुरक्षा के तौर पर सभी जरूरी कदम समय से उठाए जा सके। एहतियातन प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने वाली सड़को को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बाद में पीएमओ ने ट्वीट किया- नौ लोक कल्याण मार्ग पर शार्ट सर्किट के चलते मामूली आग लग गई। ये (आग) प्रधानमंत्री के आवास या कार्यालय क्षेत्र में नहीं लगी थी, बल्कि लोक कल्याण मार्ग

खेती के अलावा ट्रैक्टर का व्यावसायिक इस्तेमाल किया तो होगा जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 दिसंबर।

कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किसी भी व्यावसायिक कार्य में लगाए जाने पर परिवहन विभाग अब सख्ती करेगा। ट्रैक्टर को जब्त किया जा सकता है। साथ ही बगैर एक एकड़ कृषि भूमि वालों को ट्रैक्टर खरीद पर परिवहन विभाग के कर में छूट नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर खरीद पर परिवहन शुल्क में छूट के लिए कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि होनी अनिवार्य है। बगैर खतौनी के परिवहन विभाग कर में कोई छूट नहीं देगा और उसे व्यावसायिक वाहन मानकर कर वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग अधिकारियों को मुताबिक कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व ट्रॉली खरीदने वाले किसानों से 15 साल के लिए बेहद मामूली कर (टेक्स) लिया जाता है। लेकिन फिलहाल इस छूट के लिए कितनी कृषि भूमि होनी चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। ट्रैक्टर से

दिल्ली में लगाई जाएंगी 2.10 लाख स्ट्रीट लाइट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सोमवार से स्ट्रीट लाईट लगाने का काम प्रारंभ कर दिया। इस योजना के तहत राजधानी में दो लाख, दस हजार स्ट्रीट लाइट लगेगी। जिसे लगाने की जिम्मेदारी तीनों बिजली कंपनियों की होगी। इसके अलावा सरकार ने अब दिल्ली छावनी में रहने वालों को भी बिजली सभ्सिडी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिल्ली मंत्रिमंडल में लिए गए इन फैसलों की जानकारी संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि इन स्ट्रीट लाइटों में 20 या 40 वाट की एलईडी लगेगी। तीन से पांच साल तक स्ट्रीट लाइट के मटेनेंस की जिम्मेदारी स्ट्रीट लाइट सप्लायर कंपनी की होगी। इस योजना पर सौ करोड़ का खर्च आएगा। इस योजना के तहत दिल्ली के अंधेरे वाले इलाकों को अगले चार माह में खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में 50-60 हजार स्ट्रीट लाईट लग जाएंगी और अगले चार माह में 2.10 लाख स्ट्रीट लाईट को लगा दिया जाएगा।

दिल्ली में लगी आग

मधुवन चौक (रेड लाइन पर)और हैदरपुर बादली मोड़ (येलो लाइन पर)। इसके अलावा, पूरे जनकपुरी पश्चिम - आर के आश्रम मार्ग में तीन और इंटरचेंज स्टेशन होंगे - मजलिस पार्क (पिंक लाइन पर), आजादपुर (येलो) और पिंक लाइन पर) और आर के आश्रम मार्ग (ब्लू लाइन पर)। इसलिए, कुल मिलाकर इस कॉरिडोर में छह इंटरचेंज स्टेशन होंगे।

सबसे ऊंचा प्लेटफार्म बनेगा

हैदरपुर बादली मोड़ का चौथे चरण में बने वाला प्लेटफार्म तीसरे चरण में बने स्टेशन के ऊपर होगा। यह 23.5 मीटर की उंचाई के साथ दिल्ली मेट्रो में अब तक का सबसे ऊंचा प्लेटफार्म होगा। मयूर विहार फेज वन पिंक लाइन स्टेशन 22 मीटर ऊंचा है, जबकि कड़कड़इग्रा स्टेशन 20 मीटर ऊंचा है। चौथे चरण के तीन कॉरिडोर को अब तक मंजूरी दी गई है, जिसके तहत तीन अलग-अलग कॉरिडोर में 45 मेट्रो स्टेशनों के साथ 61.67१ किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा।

वामदलों ने प्रदर्शनकारियों पर हुए हमलों के खिलाफ दिया धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

वामदलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ दो सप्ताह से जारी देशव्यापी आंदोलनों को दबाने के लिए की गई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।

माकपा और भाकपा सहित अन्य वामदलों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए धरने का आयोजन किया था। उल्लेखनीय है कि सीए विरोधी आंदोलनों में हिंसा के दौरान 26 लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम लोग घायल हुए। मृतकों में 16 उत्तर प्रदेश से हैं।

पांच बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने के बावजूद दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार दिल्ली में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव प्रचार के शुरुवाती पोस्टरों से भी यहीं संकेत मिल रहे हैं जिसमें लिखा गया कि ‘दिल्ली चले मोदी के साथ’। विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। सुत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व बड़े वर्ग का मानना है कि इस समय किसी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने पर उस नेता के विरोधी नेता या तो घर बैठ जायेंगे या ठीक से काम नहीं कर पायेंगे। अन्यथा यह कैसे संभव था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की उम्मीदवार किरण बेदी भाजपा के गढ़ माने जाने वाली कृष्ण नगर सीट से खुद अपना चुनाव भी नहीं जीत पाईं। दिल्ली में भाजपा की समस्या है कि वह 1998 में दिल्ली सरकार से बाहर हुईं, तब से वह कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाईं।

इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को

आसपास

दिल्ली

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पांच बच्चों समेत छह की मौत

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 30 दिसंबर।

लोनी के बहेटा हाजीपुर स्थित उत्तरांचल विहार कॉलोनी में सोमवार सुबह एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। घटना में एक ही परिवार के पांच बच्चों समेत छह की झुलसने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन व लोनी नगर पालिका अध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया है।

बताया गया है कि कॉलोनी में शार्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई। जिसमें परवीन (40) के साथ सो रहे पांच बच्चों की जलने से मौत हो गई। परवीन बच्चों की ताई बताई जा रही हैं। आग फैलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे करके तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। परिवार मूलरूप से बागपत के जानी गांव का रहने वाला है। जो पिछले कई सालों से थाना लोनी सीमा क्षेत्र के उत्तरांचल विहार

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

हैदर बादली मोड़ पर शिलान्यास के साथ दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो गया। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ मंगू सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही जनकपुरी-आरके आश्रम गलियारे पर दसवें मेट्रो स्टेशन के लिए खंभों को बनाने का काम भी शुरू हुआ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित चौथे चरण में छह में से तीन गलियारों के निर्माण को मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक मुकुंदपुर-मौजपुर,आर के आश्रम-जनकपुरी पश्चिम और एयरो सिटी-नुगलकाबाद गलियारे को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। दिल्ली मेट्रो के इस चौथे चरण के इस निर्माण कार्य में जनकपुरी पश्चिम-आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर लाइन-आठ (मैजेंटा लाइन) का विस्तार किया जाएगा। इसके एक हिस्से के निर्माण के लिए हैदरपुर बादली मोड़ में

पाइलिंग का काम शुरू किया गया। इसमें 10 स्टेशनों केशोपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, पश्चिम एन्क्लेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, मधुवन चौक, प्रशांत विहार और पीतमपुरा उत्तर शामिल हैं। पूरा कॉरिडर उपरिगामी है।

इस कार्य में केशोपुर से हैदरपुर बादली मोड़ तक एलिवेटेड वायडक्ट, एलिवेटेड रैप, साइडिंग लाइन और स्टेशन भवनों का डिजाइन और निर्माण शामिल है। इस कॉरिडोर का काम शुरू होने के 30 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

कुल 28.92 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम-आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर, मैजेंटा लाइन का विस्तार है और इसमें 22 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के बाकी स्टेशनों के लिए निविदाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य उपाया बनाए गए कॉरिडोरों के लिए सिविल निर्माण हेतु निविदाएं जारी की जा चुकी हैं और दो संविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

इस विशेष संविदा के तहत, तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे, पीरागढ़ी (ग्रीन लाइन पर),

‘आप’ : दिल्ली चुनाव की कमान यूपी जिलाध्यक्षों को

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा जमायेंगे। इस दौरान सभी जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के सीधे संपर्क में रहकर प्रचार समेत अन्य कार्य करेंगे। यह घोषणा अधिकारियों को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने की। इस बैठक में आम उत्तर प्रदेश इकाई के जिलाध्यक्षों व जिला महासचिवों ने हिस्सा लिया।

मंदी और सीएए के खिलाफ कांग्रेस करेगी भूख हड़ताल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

कांग्रेस की दिल्ली इकाई संशोधित नागरिकता कानून (सीए), आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के खिलाफ नए साल के मौके पर 12 घंटे की भूख हड़ताल करेगी। दिल्ली कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख कीर्ति आंजल ने बताया कि यह भूख हड़ताल सोमवार को कर्नाट प्लेस में शाम छह बजे से शुरू होगी। दिल्ली पुलिस यदि कांग्रेस को इस स्थान पर अनुमति नहीं देती है तो मध्य दिल्ली

में किसी और स्थान पर भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सीए को लेकर देश की जनता में आक्रोश है। पूरा देश मंदी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कीर्ति आजाद ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली में चुनाव अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए सभी मोर्चों पर रणनीति तैयार कर ली है। पहले चरण में दो से छह जनवरी तक कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर भाजपा व ‘आप’ पार्टी की जन विरोधी नीतियों से लोगों को सावधान करेंगे। कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल की उपलब्धियां बताएगी।

मनोज मिश्र

नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

| | | | |
|--|---|---|---|
| एक्सिस बैंक | आधिपत्य नोटिस | | |
| रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 | सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अवल सम्पत्ति) | कुल बकाया धनराशि | |
| कांफोर्टे आफिस : तुतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुध्दार्क मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025 | रिहात मौलता कंघन सुब्ब टाउन रीशंग, परंगम-सरसबा, लहरसी-नीरगंज, जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश, | ₹. 20,25,038.90 | दिनांक 30.07.201१ + देश व्याप व अन्य खर्च |
| रजिस्टर्ड आफिस : त्रिभुल, तुतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006 | जोकि फर्जुलुहहमान के नाम | ₹. 17,08,201.99 | |
| जबकि अयोहस्ताक्षरी, एक्सिस बैंक लि के प्राधिकारी, ने सिक्वोरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एंड एफोर्सेमैन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (इंफोर्सेमैन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पहिला धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत आम नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का मुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उन्हे उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पहिल उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सीदा न करे तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सीदा एक्सिस बैंक लि के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक व्याज, अनुबंधी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगज के विधायीन होना। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धक एवं जमानतकर्ता का च्यान सर्वेक्षणी एक्ट की धारा 13(6) की और अर्कूट किया जाता है कि तब समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को शैडीम (मोर्गन) कर सकते है। | देय सूचना की तिथि : 17.08.2019 | | |
| मैसर्स नवाजिस भिक फील्ड द्वारा ग्राम सारपुर तहसील-फ़रीदपुर जिला बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश-243001 भारत | बीहद्वी: पूर्व : अडक | कब्जा दिनांक : 28.12.2019 | |
| एच : डारा ए-135, कुम्भाचल नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001 | पश्चिम : फर्जुलुहहमान का मकान | | |
| श्री फर्जुलुहहमान (ऋणी) पुत्र अब्दुल रहमान श्री फिख्रुल रहमान (सह-ऋणी) पुत्र अब्दुल रहमान | दक्षिण : छतरन सेठ का मकान | | |
| निवासी मॉनो 44, रीशंगड देहात, वार्ड नं. 10, बरेली, उत्तर प्रदेश-243505 | | | |
| दिनांक : ३1.12.2019 | (प्राो अधिकारी) एक्सिस बैंक लि। | | |
| स्थान : लखनऊ | | | |



जरा हट के

गुरु गोविंद सिंह की जयंती से पहले सोमवार को जम्मू में एक जुलूस में मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करता हुआ एक युवक।

बोल

अमेरिका ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाया है जो परस्पर विश्वास और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नुकसानदेह है।
-शी जिन्पिंग, चीन के राष्ट्रपति



विवाद

भारत में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, उससे 'पाकिस्तान पर खतरा भी बढ़ रहा है और भारतीय सेनाध्यक्ष की टिप्पणी से 'छत्र कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है।
-इमरान खान, प्रधानमंत्री पाकिस्तान



सम-सामायिक

परमाणु हमले की क्षमता बढ़ाने के मिशन पर भारतीय नौसेना

जनसत्ता संवाद

भारतीय नौसेना ने 18 पारंपरिक और छह परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों का एक बेड़ा तैयार करने की योजना बनाई है। रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने संसद के शीत सत्र में सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है, '18 (पारंपरिक) और छह एसएसएन (परमाणु हमले की क्षमता से युक्त) पनडुब्बियों की योजना है, लेकिन 15 पारंपरिक और

एक एसएसएन की मौजूदा क्षमता लीज पर उपलब्ध है।' भारत के पास दो परमाणु पनडुब्बियां भी हैं - आइएनएस चक्र और आइएनएस अरिहंत। पनडुब्बियों के मामले में चीन को भारत से आगे माना जाता है।

नौसेना ने अरिहंत क्लास के परमाणु चालित युद्धपोतों के अलावा अलावा परमाणु आयुध से हमलावर छह पनडुब्बियां बनाने की योजना बनाई है। अरिहंत एक परमाणु हमले की क्षमता से युक्त एसएसबीएन पनडुब्बी है, जो जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल लगे हैं। परमाणु हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही किए जाने की योजना है, जिसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी।

भारतीय नौसेना अभी पारंपरिक पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है। इसमें रूसी मूल की किलो क्लास, जर्मन मूल की एचडब्ल्यूडी क्लास और आधुनिक फ्रांसीसी स्कॉपीन क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, परमाणु क्षेत्र में एक आइएनएस चक्र है, जो रूसी मूल का अकुला क्लास का जहाज है। नेवी ने स्टैंडिंग कमिटी को यह भी बताया कि पिछले 15 वर्षों में सिर्फ दो नई पारंपरिक पनडुब्बियां ही बेड़े में शामिल हुईं, जिनमें



चीन की बढ़ती घुसपैठ

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारत के लिए अपने पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि पनडुब्बी समुद्री लड़ाई में दुश्मन देश पर अपना क्षमता का प्रभाव वाला बनाए रखने का अहम हथियार होता है। कुछ समय से हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की घुसपैठ की खबरें सामने आती रही हैं।

जा सकती हैं और लंबे समय तक सतह पर आए बिना पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं। यह पनडुब्बियां लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मदद से परमाणु हमला करने में भी सक्षम होती हैं। मौजूदा समय में भारत के पास आइएनएस अरिहंत नाम की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसके अलावा एक अन्य स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आइएनएस अरिघात के जल्द ही नौसेना में शामिल होने की संभावना है।

शोध

नई सुरक्षा स्याही से रुकेगी नोटों की जालसाजी

जनसत्ता संवाद

देश के वैज्ञानिकों के एक नवीनतम शोध में ऐसी सुरक्षा स्याही विकसित की गई है, जो पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की नकल, नकली दवाओं की पैकिंग और नोटों की जालसाजी को रोकने में मददगार हो सकती है। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर इस स्याही में दो रंग उभरने लगते हैं। सामान्य प्रकाश में यह स्याही सफेद रंग की दिखाई देती है, लेकिन, जब इस पर 254 नैनोमीटर की आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इससे लाल रंग उत्सर्जित होने लगता है और पराबैंगनी प्रकाश को बंद करते ही स्याही से हरा रंग उत्सर्जित होने लगता है।

पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से इस नई विकसित की गई स्याही से लाल रंग 611 नैनोमीटर और हरा रंग 532 नैनोमीटर की आवृत्ति से उत्सर्जित होता है। लाल रंग का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंस) और हरे रंग का उत्सर्जन स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) प्रभाव के कारण होता है।

यह स्याही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली और एकेडेमी ऑफ साइंटिफिक एंड इन्वेंटिव रिसर्च, गाजियाबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री-सी में प्रकाशित किया गया है।

एनपीएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख शोधकर्ता डॉ. विपिन कुमार गुप्ता के मुताबिक, इस स्याही का विकास प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंस)-स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति पर ही दो रंगों का उत्सर्जन करती है। आमतौर पर दो रंगों के उत्सर्जन के लिए दोहरी आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य की जरूरत पड़ती है।

शोध में ऐसे तत्व का चयन महत्वपूर्ण था, जिससे पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर रंगों के उभरने में बाधा पैदा न हो। लाल एवं हरा रंग उत्सर्जित करने वाली यह चमकदार स्याही विकसित करने के लिए रासायनिक तत्वों- सोडियम इट्रियम फ्लोराइड, यूरोपियम-डोड और स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट को यूरोपियम-डोड और स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट को यूरोपियम-डिसोर्सियम के साथ संश्लेषित किया गया है।



तकनीक है और इसका इस्तेमाल नोटों या गोपनीय दस्तावेजों की छपाई के लिए पहले नहीं किया गया है। इस स्याही की व्यवहारिकता का परीक्षण करने के लिए सफेद बांड पेपर पर स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक से छपाई की गई है। 254 नैनोमीटर की आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डालने पर लाल एवं प्रकाश को बंद कर रहे रंगों का उत्सर्जन देखा गया है। स्याही की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विरंजक एजेंटों, जैसे- साबुन के घोल, एथिल अल्कोहल और एसिटोन के साथ रासायनिक परीक्षण किए गए हैं।



विश्व परिक्रमा

भारत-अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता
शनिवार, 21 दिसंबर : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां प्रतिनिधिसभा की विदेश मामलों की समिति की एक बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।

हजारों नागरिक बेघर
रविवार, 22 दिसंबर : उत्तर पश्चिमी सीरिया के दक्षिण इदलिब क्षेत्र से इस सप्ताह भारी बमबारी के बीच हजारों नागरिक विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बच्चों का यौन शोषण किया : रिपोर्ट
सोमवार, 23 दिसंबर : रोमन कैथोलिक चर्च की अति रूढ़िवादी मैक्सिकन शाखा से जुड़े पादरियों ने कम से कम 175 बच्चों का यौन शोषण किया। शनिवार को प्रकाशित एक आंतरिक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

पांच को मृत्युदंड
मंगलवार, 24 दिसंबर : सऊदी अरब के पत्रकार जमाल



एस जयशंकर

खशोगी की हत्या के मामले में पांच लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया लेकिन इस संबंध में आरोपी दो जानी मानी हस्तियों को दोषमुक्त करार दिया गया।

अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती के दौर में
बुधवार, 25 दिसंबर : भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय

शोध में ऐसे तत्व का चयन महत्वपूर्ण था, जिससे पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर रंगों के उभरने में बाधा पैदा न हो। लाल एवं हरा रंग उत्सर्जित करने वाली यह चमकदार स्याही विकसित करने के लिए रासायनिक तत्वों- सोडियम इट्रियम फ्लोराइड, यूरोपियम-डोड और स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट को यूरोपियम-डिसोर्सियम के साथ संश्लेषित किया गया है।

स्याही के अपेक्षित गुण प्राप्त करने के लिए दो रंगों को 3:1 के अनुपात में मिलाया गया है। इस मिश्रण को 400 डिग्री तापमान पर तीन घंटे तक ऊष्मा से उपचारित किया गया है। इस तरह, एक तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति पर दो रंगों का उत्सर्जन करने वाली स्याही बनाने के लिए महीन सफेद पाउडर का विकास किया गया है।

स्याही के उत्पादन पर पिगमेंट एक दूसरे से चिपक जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक तत्वों का ऊष्मीय उपचार किया गया है। अंततः पाउडर को पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) माध्यम के साथ मिलाया गया है, ताकि चमकदार सुरक्षा स्याही प्राप्त की जा सके। पदार्थों के अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल उत्सर्जित करने के गुण को फ्लोरोसेंस कहते हैं। जबकि, फॉस्फोरेसेंस से तात्पर्य दहन या ज्ञात ऊष्मा के बिना किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश उत्सर्जन से है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दोहरे रंग की चमक उत्सर्जित करने की यह एक नवीनतम तकनीक है और इसका इस्तेमाल नोटों या गोपनीय दस्तावेजों की छपाई के लिए पहले नहीं किया गया है। इस स्याही की व्यवहारिकता का परीक्षण करने के लिए सफेद बांड पेपर पर स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक से छपाई की गई है। 254 नैनोमीटर की आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डालने पर लाल एवं प्रकाश को बंद कर रहे रंगों का उत्सर्जन देखा गया है। स्याही की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विरंजक एजेंटों, जैसे- साबुन के घोल, एथिल अल्कोहल और एसिटोन के साथ रासायनिक परीक्षण किए गए हैं।

गंभीर सुस्ती के दौर में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) ने रिपोर्ट में कहा कि 2019 की पहली छमाही में विभिन्न कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सुस्त पड़ी है।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प
गुरुवार, 26 दिसंबर : हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों का असर बुधवार को क्रिसमस के त्योहार पर भी देखने को मिला। चीन समर्थक नेता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने त्योहार के उत्साह को फीका कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मॉलों और शहर के कई जिलों में प्रदर्शन किए, उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

इजराइल पर रॉकेट हमला
शुक्रवार, 27 दिसंबर : गाजा पट्टी की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल के सैन्य विमान ने बुधवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। उसका कहना है कि हमला के कब्जे वाले गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बदले में उन्होंने यह हमला किया है।



जानें-समझें

हिरासत केंद्र : कब, कहां, कैसे

पुराने नियमों के जरिए नई घेरेबंदी

दीपक रस्तोगी

देश में डिटेनशन सेंटर (हिरासत केंद्र) को लेकर बहस जोरों पर है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर निज नए जारी हो रहे तथ्यों से भ्रम की स्थिति के बीच हिरासत केंद्र को लेकर चल निकली चर्चा से लोग हलकान हैं। हिरासत केंद्रों को लेकर चर्चा राजनीतिक दायरे को लोंघते हुए सामाजिक-समरसता के बिखराव का भी सबब बन रही है। दरअसल, तथ्य बताते हैं कि हिरासत केंद्रों की व्यवस्था दशकों पुरानी है। यह कानूनी इंतजाम है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले हिरासत केंद्रों की व्यवस्था को नागरिकता के सवालों से नहीं जोड़ा गया था।

क्या हैं हिरासत केंद्र

जिन विदेशी नागरिकों की नागरिकता की पहचान और पुष्टि लंबित होती है, उन्हें रखने के लिए हिरासत केंद्र बनाए जाते हैं। हिरासत के दौरान संबंधित देशों से वैसे लोगों के प्रपत्रों का सत्यापन किया जाता है फिर उन्हें उनके देशों में भेज दिया जाता है। फॉरेनर्स एक्ट-1946 के सेक्शन 3(2)(सी) में केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक के किसी विशेष स्थान पर आने-जाने पर रोक लगा सकता है। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून-1920 किसी ऐसे शख्स को भारत से निष्कासित कर सकता है, जो कि भारत में बिना वैध पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के साथ आया है। संविधान के अनुच्छेद 258(1) में राज्य सरकारें ऐसा करने में सक्षम हैं।

निर्देश 1998 से जारी हो रहे

डिटेनशन सेंटर में रह कर निष्कासन का इंतजार कर रहे इन विदेशी नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय ने जुलाई 1998 से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किए। इन निर्देशों को 23 नवंबर 2009, सात मार्च 2012, 29 अप्रैल 2014, 10 सितंबर 2014 और सात सितंबर 2018 को दोहराया गया।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र

असम के गोवालपारा जिले के मटिया में देश का सबसे बड़ा हिरासत केंद्र बन रहा है। मटिया में आबादी से दूर ढाई हेक्टेयर में बन रहे डिटेनशन सेंटर का काम दिसंबर 2018 से चल रहा है, इसे दिसंबर 2019 तक बन जाना था। लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण इसमें देरी हो गई। अब 31 मार्च 2020 तक सारा काम पूरा करने की तिथि तय की गई है। इसके निर्माण में कुल 46 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस डिटेनशन सेंटर में तीन हजार लोगों को रखने का इंतजाम होगा। मटिया डिटेनशन सेंटर में चार-चार मंजिलों वाली 15 इमारतें बन रही हैं। इनमें 13 इमारतें पुरुषों और दो महिलाओं के लिए बन रही हैं। अमेरिका के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिरासत केंद्र होगा।



असम में नया बन रहा बंदी गृह

दुनिया में कहां और क्यों

दुनिया का पहला इमिग्रेशन डिटेनशन सेंटर (जो सिर्फ अवैध नागरिकों को रखने के मकसद से ही तैयार किया गया था) 1892 में अमेरिका के न्यू जर्सी में शुरू किया गया। फ्रांस में 17वीं और 18वीं सदी में बेसिले नामक जगह पर बने किले को हिरासत केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फ्रांस के राजा चार्ल्स पंचम ने 22 अप्रैल 1370 को इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 1910 में कैलिफोर्निया में दूसरा इमिग्रेशन डिटेनशन केंद्र शुरू हुआ। 1970 में यूरोप का पहला डिटेनशन सेंटर इंग्लैंड में शुरू हुआ। 1982 में दक्षिण अफ्रीका में देश का पहला इमिग्रेशन डिटेनशन सेंटर शुरू हुआ। 2002 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा अमेरिकी सैनिक अहंदाताओं को रखापित किया गया। इस जगह को पहले पहले इमिग्रेशन डिटेनशन साइट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था।

क्या भारत में है हिरासत केंद्र

भारत में हिरासत केंद्र हैं। असम में वर्ष 2012 में वहां की कांग्रेस सरकार ने तीन जेलों के भीतर ही हिरासत केंद्र बनाए गए थे। इन्हें गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर के जिला जेलों के अंदर बनाया गया था। बाद में तीन अन्य केंद्र तेजपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की जेल के अंदर बनाए गए। इन सभी छह हिरासत केंद्रों में कुल 1000 अप्रवासियों को रखा जा सकता है। लेकिन मीडिया रपटों के मुताबिक, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या तय सीमा से काफी ज्यादा है। असम के अलावा दिल्ली के लामपुर में सेवा सदन और महिलाओं के लिए महिला सदन, राजजादाबाग में बांग्लादेशियों के लिए, पंजाब में अमृतसर की सेंट्रल जेल में, राजस्थान में अलवर की जेल में और पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में भी डिटेनशन सेंटर अस्तित्व में हैं।

क्या नए हिरासत केंद्र बनाए जा रहे

असम के गोलपारा में नया हिरासत केंद्र बन रहा है। पिछले साल केंद्र सरकार ने मॉडल डिटेनशन सेंटर का मैनुअल सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया था, जिसके आधार पर ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके मुताबिक हिरासत केंद्रों में रिस्कल सेंटर, बच्चों के लिए क्रेच और पकड़े गए विदेशियों को उनके मिशन/दूतावासों/कौमुलेट या परिवारों से संपर्क करने के लिए एक सेल बनाया शामिल था।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख

वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से भारत में रहते हुए पकड़े गए विदेशी नागरिकों के बारे में कहा था कि जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें तुरंत जेल से रिहा करना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिसे डिटेनशन सेंटर कह लें या कोई और नाम दे दें- लेकिन इन जगहों पर बिजली पानी और साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी ओर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उन निर्देशों का भी नोटिस लिया, जो निर्देश 2014 में जारी किए गए थे। इसमें गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वो अवैध घुसपैटियों और उन विदेशी नागरिकों की गतिविधियां सीमित करने के लिए हिरासत केंद्र बनाएं।

हिरासत केंद्रों का मौजूदा आंकड़ा

दो जुलाई 2019 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने लोकसभा में सवाल पूछे थे। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि असम में इस समय कुल छह डिटेनशन सेंटर हैं? इन सेंटर में 25 जुन 2019 तक में कुल 1133 लोगों को रखा गया है, जिसमें से 769 लोग पिछले तीन साल से रह रहे हैं। इससे पहले नौ अगस्त 2016 को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक बयान जारी किया था जिसके मुताबिक तीन अगस्त 2016 तक इन डिटेनशन सेंटरों में कुल 28 बच्चों को रखा गया था।




व्यक्तित्व

सामंथ सुब्रह्मण्यम : विज्ञान व राजनीति के घालमेल का खुलासा

जनसत्ता संवाद

भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक-पत्रकार सामंथ सुब्रह्मण्यम इन दिनों अपनी एक पुस्तक को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने ब्रिटिश-भारतीय विज्ञानी जान बर्टन सैंडरसन (जीबीएस) हालदेन की आत्मकथा लिखी है- 'अ डॉमिनेंट कैरेक्टर'। इस पुस्तक में सामंथ ने विज्ञान और राजनीति के घालमेल का खुलासा किया है। सामंथ सुब्रह्मण्यम 'इंस्ट्रटली कोटेबल मैन' जैसी चर्चित पुस्तक लिख चुके हैं। हाल में अपनी ताजा पुस्तक के भारत में लोकार्पण के सिलसिले में वे चेन्नई आए थे। उन्होंने जेबीएस हालदेन की भारत यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की।

सामंथ पहले ऐसे लेखक बने हैं, जिन्होंने साहित्य में जीव-विज्ञान जैसे विषय को उठाया है। हालदेन जहां पत्नी हेलेन के साथ भारत आए तो वे अपने साथ जीवित मछलियों के दर्जन भर जाए लें आए थे। समुद्री जहाज के उनके केबिन में लगातार बदलते तापमान के कारण मछलियां मर गईं। उन्होंने जहाज के अधिकारियों को यह समझाया कि जार को वे सील कर देंगे और मछलियां बंदूक नहीं करेंगी। दरअसल, इस वैज्ञानिक ने साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में अपने अध्ययन के लिए खूब नियम तोड़े और अधिकारियों की अन्देखी की। रोचक अंदाज में लिखे इस पुस्तक में सामंथ ने ऐसे उद्धरण दिए हैं कि लोग हंसते हैं और भावुक भी होते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने वैज्ञानिक के ऐसे व्यक्तित्व को पेश किया है, जिसमें उनकी



विज्ञान और राजनीति के बारे में सोच उजागर करती है। सुब्रह्मण्यम कहते हैं, 'पहले मैं उन्हें एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट के तौर पर जानता था, जो भारत चले आते हैं। यहां हालदेन ने राजनीति पर विचारोन्मेजक लेख लिखने शुरू कर दिए। अपनी जीवन शैली, सरकार और इतिहास-साहित्य पर अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। इसमें वे विज्ञान के उद्धरण रखते।' सामंथ के मुताबिक, ऑर्थर सी क्लार्क ने हालदेन को अपनी पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक माना था। हालदेन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने पहले विश्व युद्ध और स्पेन की लड़ाई लड़ी। उनके वैवाहिक जीवन में काफी उथल-पुथल रहे। तमाम इन बातों के बावजूद वे हमेशा

साम्राज्यवाद, धोर पूंजीवाद, रंगभेद और विभेद के विरोध में रहे। सामंथ ने इस पुस्तक से पहले 'फॉलोविंग फिशा' और 'दिस डिवाइडेड आइसलैंड : स्टोरजि फ्रॉम द श्रीलंकन वा' - ये दो उपन्यास यात्रा-वृत्तांत और युद्ध-इतिहास के रूप में लिखे। फिर उन्होंने नए विषय को छुआ, जिसके लिए उन्होंने बुनियाद से सीखने की शुरुआत की। सामंथ कहते हैं कि हालदेन की जीवनी

लिखने के लिए मैंने सिर्फ तीन लोगों से बात की, लेकिन दुनिया भर में 18 आर्काइव खंगाले। हालदेन की हस्तलिखित कुछ सामग्रियां पढ़ीं। वे कहते हैं कि हालदेन वैज्ञानिकों में ऐसे मॉडल रहे हैं, जो सी फ्रीसद दुनियावादी मामलों से वास्ता रखते थे। ऐसे दौर में जहां गुणसूत्र में घालमेल और डिजाइनर बच्चों की बात होती हो, हालदेन के शोध को शुद्ध वैज्ञानिक नहीं, राजनीतिक और मर्यादा से जुड़ा माना जा सकता है।